

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, शुक्रवार 13 अप्रैल, 2018 ई0

चैत्र, 23, 1940 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 193 / विधायी एवं संसदीय कार्य / 2018

देहरादून, 13 अप्रैल, 2018

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित उत्तराखण्ड सेवानिवृत्ति लाभ विधेयक, 2018 को दिनांक 12 अप्रैल, 2018 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 17 वर्ष 2018 के रूप में सर्व-साधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड सेवानिवृत्ति लाभ अधिनियम,
2018 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 17
वर्ष 2018)

राज्याधीन सेवाओं के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त कार्मिकों की सेवावधि के उपरान्त सेवानिवृत्ति लाभ दिये जाने हेतु

अधिनियम

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधानसभा द्वारा अधिनियमित:

भाग—एक

संक्षिप्त नाम और 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड सेवानिवृत्ति प्रारम्भ तथा लागू होना लाभ अधिनियम, 2018 है।

(2) यह अधिनियम दिनांक 01, अक्टूबर, 2005 से पूर्व राज्याधीन सेवाओं के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त कार्मिकों पर उनके अधिवर्षिता आयु पूर्ण करने, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति एवं अनिवार्य सेवानिवृत्ति की दशा में लागू होगा तथा कार्मिक

की मृत्यु की दशा में ऐसे कार्मिक के आश्रितों पर लागू होगा;

परन्तु यह कि दिनांक 01.10.2005 से मौलिक रूप से नियुक्त कार्मिक नई अंशदान पेंशन योजना से शासित होंगे;

परन्तु यह और कि ऐसे कार्मिक की सेवा जो—

(क) पूर्णकालिक नियोजन की न हो;
(ख) संविदा, कार्य—प्रभारित, अंशकालिक, दैनिक वेतन,

तदर्थ व नियत वेतन में की गई सेवा;
(ग) अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के पश्चात सेवाविस्तार/पुनर्नियोजित/सत्रान्त लाभ के रूप में की

गई सेवा;

(घ) एक सेवा से दूसरी सेवा के मध्य सेवा व्यवधान। (ङ) एक पद से दूसरे पद पर हुये स्थानान्तरण के फलस्वरूप कार्यभार ग्रहण काल/बाध्य प्रतीक्षा काल के

अतिरिक्त गैर अनुमन्य अनुपस्थिति की अवधि;

(च) बिना स्वीकृत उपभोग किये गये अवकाश अवधि;

(छ) सेवा में किसी भी प्रकार की ऐसी अनुपस्थिति

जिसकी स्वीकृति हेतु अवकाश शेष न हो;

उपरोक्त खण्ड (क) से (छ) तक उल्लिखित सेवाओं के लिये पेंशन अनुमन्य नहीं होगी।

अध्यारोही प्रभाव 2 यह अधिनियम इससे पूर्व बनाई गई किसी विधि में किसी अन्य बात के होते हुए भी प्रभावी होगा।

परिभाषाएं 3. जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस अधिनियम में:—

(क) 'संविधान' से 'भारत का संविधान' अभिप्रेत है;

(ख) 'सरकार' से उत्तराखण्ड राज्य की सरकार
अभिप्रेत है;

(ग) 'राज्यपाल' से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत है;

- (घ) 'पेंशन स्वीकर्ता अधिकारी' से समय-समय पर सरकार द्वारा इस रूप में अधिकृत अधिकारी अभिप्रेत है;
- (ङ) 'पेंशन' में उपदान सम्मिलित है, सिवाय उस स्थिति में जब मात्र सेवा उपदान देय हो, वह पेंशन का भाग नहीं होगा।
- (च.) 'परिलब्धि' से ऐसा वेतन अभिप्रेत है, जो वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-दो, भाग-दो से चार में परिभाषित है।
- (छ.) 'मौलिक नियुक्ति' से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति है जो संविदा, कार्य-प्रभारित, अंशकालिक, दैनिक वेतन भोगी, तदर्थ व नियत वेतन में नियुक्त न हो, और जिसका चयन सेवा संबंधित सेवानियमों के अनुसार किया गया हो, अभिप्रेत है;
- (ज.) 'स्थायी एवं अस्थायी सेवा' से ऐसी सेवा अभिप्रेत है, जो राजकीय विभाग में स्थाई व अस्थायी पद पर मौलिक रूप से नियुक्ति के पश्चात की गई हो;
- (झ.) 'सरकारी सेवक' से ऐसे सरकारी सेवक (चाहे वह किसी श्रेणी के हों) अभिप्रेत है, जो सरकार के अधीन पेंशन अर्हता पद पर मौलिक रूप से नियुक्त हो।
- (ञ) 'अर्हकारी सेवा' से ऐसी सेवा अभिप्रेत है, जो राज्याधीन सेवाओं के अधीन मौलिक/नियमित रूप से की गई की सेवावधि है।
- (ट) 'सेवानिवृत्ति' से अधिवर्षिता, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, अनिवार्य सेवानिवृत्त पर सरकारी सेवा से पदमुक्त अभिप्रेत है;
- (ठ) 'विहित' से नियमों में विहित अभिप्रेत है।
- भाग-दो
- पेंशन

पेंशन हेतु अर्हता

4.

होगी—

पेंशन के लिये सेवा निम्न शर्तों के अधीन अर्हकारी

(क) सेवा राज्य सरकार के अधीन मौलिक तथा नियमित रूप से की गई हो।

(ख) सेवा को सेवानिवृत्तिक लाभों हेतु तब अर्हकारी सेवा समझा जायेगा जब सम्बन्धित कार्मिक किसी अधिष्ठान में स्थायी/अस्थायी रूप से सृजित किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त हो।

पेंशन की धनराशि
आहरित
माह
के

5. पेंशन की धनराशि सेवा के अन्तिम दिवस को मूल वेतन अथवा सेवानिवृत्ति तिथि से पूर्व के 10 की औसत वेतन, जो भी कार्मिक हेतु लाभकारी हो, 50 प्रतिशत के समतुल्य होगी,
परन्तु उक्त राशि किसी भी दशा में राज्य सरकार द्वारा विहित न्यूनतम पेंशन की धनराशि से कम नहीं होगी और न ही अधिक होगी।

पेंशन अनुमन्यता हेतु
सेवा अवधि का
निर्धारण
छः

6. (क) 10 वर्ष से न्यून अर्हकारी सेवा होने पर पेंशन अनुमन्य नहीं होगी। (छः माह और छः माह से अधिक अवधि का एक वर्ष माना जायेगा तथा

माह से कम की अवधि को गणना में नहीं लिया जायेगा।)

(ख) 20 वर्ष की सेवा पर पूर्ण पेंशन अनुमन्य होगी।

(ग) यदि अर्हकारी सेवा 10 वर्ष से अधिक किन्तु 20 वर्ष से कम हो तो, पेंशन की राशि आनुपातिक रूप से कम हो जायेगी;

परन्तु उक्त राशि किसी भी दशा में राज्य सरकार द्वारा विहित न्यूनतम पेंशन की धनराशि से कम नहीं होगी।

भाग-तीन

सेवानिवृत्ति/मृत्यु उपदान

सेवानिवृत्ति
प्रत्येक

7. (1) सेवानिवृत्ति उपदान की दर अर्हकारी सेवा की

उपदान/मृत्यु
उपदान
अन्तिम

पूर्ण छमाही अवधि के लिये मासिक परिलब्धियों के आधे के बराबर होगी जिसकी अधिकतम सीमा

आहरित मासिक परिलब्धियों के तैंतीस गुने के बराबर

अथवा राज्य सरकार द्वारा नियत अधिकतम सीमा तक जो भी कम हों, से अधिक नहीं होगी।

(2) मौलिक रूप से नियुक्त किसी सरकारी सेवक की मृत्यु होने पर मृत्यु उपादान की राशि निम्नवत होगी—

अर्हकारी सेवा की मृत्यु उपदान की राशि
अवधि

01 वर्ष से कम मासिक परिलब्धियों का
02

गुना

01 वर्ष से अधिक मासिक परिलब्धियों का
06

किन्तु 05 वर्ष से कम गुना

05 वर्ष या अधिक मासिक परिलब्धियों का

12 किन्तु 11 वर्ष से कम गुना

11 वर्ष या अधिक मासिक परिलब्धियों का

20 किन्तु 20 वर्ष से कम गुना

20 वर्ष या उससे अर्हकारी सेवा की प्रत्येक
पूर्ण अधिक छमाही अवधि के

आधे के बराबर

सीमा

परिलब्धियों

लिये परिलब्धियों के

होगी जिसकी अधिकतम

अन्तिम आहरित

के तैंतीस गुने के बराबर

अथवा राज्य सरकार द्वारा

नियत अधिकतम सीमा

जो कम हों, से अधिक

होगी।

तक,

नहीं

भाग—चार

पारिवारिक पेंशन

पारिवारिक पेंशन

8. (1) पारिवारिक पेंशन की गणना अन्तिम आहरित मासिक वेतन के 30 प्रतिशत की दर साधारणतया की जायेगी;

परन्तु यह कि पारिवारिक पेंशन की न्यूनतम एवं अधिकतम धनराशि राज्य सरकार द्वारा नियत की गई धनराशि से अधिक न हो।

सरकारी सेवक/पेंशनर की मृत्यु की दशा में (2) परिवार को मृत्यु की तिथि से 10 वर्ष की अवधि तक अथवा दिवंगत सरकारी सेवक/पेंशनर की आयु 67 वर्ष होने, जो भी पहले हो, तक बढ़ी हुई दरों पर पारिवारिक पेंशन अनुमन्य होगी।

पारिवारिक पेंशन की 9.
अनुमन्यता हेतु पात्रता

पारिवारिक पेंशन की अनुमन्यता हेतु "परिवार" के निम्न सदस्य पात्र होंगे:-

(1) पत्नी/पति।

(2) मृत्यु के दिन 25 वर्ष की आयु से कम के पुत्र को इस प्रतिबन्ध के साथ कि वह जीविकोपार्जन करने लगे तो जीविकोपार्जन की तिथि अथवा 25 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो।

(3) मृत्यु के दिन 25 वर्ष की आयु से कम की अविवाहित पुत्री को इस प्रतिबन्ध के साथ कि यदि वह जीविकोपार्जन करने लगे या उसका विवाह हो जाये अथवा 25 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक, जो भी पहले हो। उपधारा (2) एवं (3) में उल्लिखित सन्तानों में सौतेली तथा सेवानिवृत्ति के पूर्व विधिवत गोद ली गई सन्तानें भी सम्मिलित हैं।

(4) दिव्यांग तथा मानसिक रूप से विक्षिप्त सन्तानों पर आयु का बन्धन नहीं होगा, जो इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्याधीन पारिवारिक पेंशन पाने के पात्र होंगे। विधवा एवं तलाकशुदा पुत्री को भी परिवार में सम्मिलित माना जायेगा। यदि मृत सरकारी सेवक के परिवार में उसकी पत्नी/पति तथा उपर्युक्त वर्णित श्रेणी की पात्र सन्तान नहीं है, तो उसके माता/पिता जो उस पर पूर्ण रूप से आश्रित थे, को उसके परिवार में सम्मिलित समझा जायेगा।

(5) राजकीय कर्मचारियों/पेंशन भोगियों की अविवाहित पुत्रियों को 25 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के बाद भी पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र बनाये जाने हेतु निम्नलिखित शर्तें होंगी-

(क) अविवाहित पुत्रियों को पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति उनकी जन्म तिथि के क्रमानुसार दी जायेगी और उनमें से छोटी पुत्री तब तक पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र नहीं होगी जब तक कि उससे अगली बड़ी पुत्री पारिवारिक पेंशन के लिए अपात्र नहीं ठहराई जाती ।

(ख) 25 वर्ष से अधिक आयु की अविवाहित पुत्रियाँ केवल तभी पारिवारिक पेंशन की पात्र होंगी, जब कि 25 वर्ष से कम आयु के अन्य पात्र बच्चे, पारिवारिक पेंशन ग्रहण करने के लिये पात्र नहीं रहें हों और यह कि परिवार में पारिवारिक पेंशन ग्रहण करने के लिए कोई निशक्त संतान नहीं है ।

पेंशन के एक भाग 10.
प्रतिशत का राशिकरण
द्वारा
पेंशनर

(क) कुल आगणित पेंशन का अधिकतम 40 की धनराशि का राशिकरण राज्य सरकार नियत सूत्र के अनुसार अनुमन्य होगा। को यह सुविधा उसकी सहमति के आधार पर देय होगी ।

(ख) राशिकृत भाग का पुनर्स्थापन पी0पी0ओ0 निर्गत होने के तीन माह बाद अथवा भुगतान की तिथि, जो भी पहले हो, से 15 वर्ष की अवधि पूर्ण होने की तिथि के ठीक अगली तिथि से होगा ।

पेंशन में वृद्धि 11.

80 वर्ष या उससे अधिक आयु के राजकीय पेंशनर्स / पारिवारिक पेंशनर्स को अनुमन्य पेंशन पर निम्नानुसार अतिरिक्त पेंशन अनुमन्य होगी:—

पेंशनर्स / पारिवारिक वृद्धि पेंशनर्स की आयु	पेंशन में
80 वर्ष से अधिक किन्तु वर्ष से अनधिक	मूल पेंशन / पारिवारिक 85 पेंशन का 20 प्रतिशत
85 वर्ष से अधिक किन्तु वर्ष से अनधिक	मूल पेंशन / पारिवारिक 90 पेंशन का 30 प्रतिशत

90 वर्ष से अधिक किन्तु	मूल
वर्ष से अनधिक	पेंशन / पारिवारिक 95
95 वर्ष से अधिक किन्तु	पेंशन का 40 प्रतिशत
वर्ष से अनधिक	मूल
100 वर्ष या उससे अधिक	पेंशन / पारिवारिक 100
	पेंशन का 50 प्रतिशत
	100 वर्ष या उससे अधिक
	पेंशन / पारिवारिक पेंशन
	का शत—प्रतिशत

भाग—पांच

प्रकीर्ण

प्रकीर्ण 12

(1) सेवा निवृत्त होने वाले ऐसे राज्य कर्मचारियों को जिनके विरुद्ध सेवानिवृत्ति के समय विभागीय, न्यायिक कार्यवाही अथवा प्रशासनाधिकरण में जांच चल रही हो अथवा किया जाना अपेक्षित हो में अनन्तिम पेंशन एवं उपादान ऐसे अनुमन्य होगी जैसे विहित की जाय।

(2) सेवा से पदच्युत व्यक्ति को पेंशन, पारिवारिक पेंशन अनुमन्य नहीं होगी।

नियम बनाने की 13 शक्ति

(1) इस अधिनियम के क्रियान्वयन के लिये राज्य सरकार नियम बना सकेगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियम विधान मण्डल के समक्ष रखे जायेंगे।

-----XXX-----

The Uttarakhand Retirement Benefits Act, 2018

[Uttarakhand Act No. 17 of 2018]

An

Act

for providing retirement benefits after the term of substantively appointed personnel under the State Government services.

Enacted by the Uttarakhand Legislative Assembly in the 69th Year of the Republic of India;

Part-I

Short title, 1. commencement and application of the Act substantively

(1) This Act may be called the Uttarakhand Retirement Benefits Act, 2018.

(2) This Act shall be applicable on the personnel appointed before the date of 1st October, 2005 under the services of State Government in the case of completion

of superannuation age, voluntary retirement and compulsory retirement and in the case of death of any personnel, shall be applicable on the dependents of such personnel;

Provided that the personnel appointed substantively from the date of 1st October, 2005 shall be governed by new contributory pension plan;

Provided further that such service of personnel which is-

(a) Not full time employment;

(b) Service done on contract, work charged, part time, daily wages, adhoc and fixed salary;

(c) Service done as extension of service/ re-appointment/ end of session benefit after completing superannuation age.

(d) Service break between a service to another service;

(e) Duration of non permissible absence except the period of assuming charge/ bound waiting period in consequence of the transfer from a post to another post;

(f) Period of consuming leave without sanctioning;

(g) Any kind of absence in service, where the leave is not remain to sanction;

Pension shall not permissible for mentioned services in the clause (a) to (g).

Overriding effect
before

2. Notwithstanding anything contained in any others law made its commencement, this Act shall prevail.

Definitions
Act:-

3. Unless anything is repugnant to the subject and context, in this

(a) 'Constitution' means the Constitution of India.

(b) 'Government' means the State Government of Uttarakhand;

(c) 'Governor' means the Governor of Uttarakhand.

(d) 'Pension Sanction Officer' means officer as authorised in this form by the Government from time to time;

(e) Pension includes gratuity, except in such conditions when only service gratuity is payable, it is not part of pension.

(f) 'Emolument' means such salary which is defined under financial hand book volume-II part II to IV;

- (g) 'Substantive appointment' means such appointment on any post in cadre of service which are not appointed on contract, work charged, part time, daily wages, Adhoc and fixed salary and whose selection has been done according to service related service rules;
- (h) 'Permanent and Temporary service' means such service which has been done after substantive appointment on permanent and temporary post in Government department.
- (i) 'Government Servant' means such Government servant (whether he is in any category) who is substantively appointed on pension eligibility post under the Government;
- (j) 'Qualifying service' means such service which has been done as substantive/ regular term of service under the State service;
- (k) 'Retirement' means to relinquish office from Government service
- (l) 'Prescribe' means prescribed in rules.

**Part
II
Pension**

Eligibility for pension

for 4

The service for pension shall be qualifying under following conditions-

- (a) The service has been done substantively and regularly under the State Government;
- (b) The service shall be deemed as qualifying service for retirement benefits when the concerned personnel is substantively appointed on any post created in permanent/ temporary form in any establishment.

Amount of basic Pension before

of 5

Amount of pension shall be equivalent to the 50% of drawn pay on last day of the service or average salary of 10 months the retirement date, whichever is beneficiary for the pensioner;

Provided that the said amount shall not be less than the amount of minimum pension prescribed and shall not be more than the amount of maximum pension prescribed by the State Government in any case.

Determination of terms of service considered for permission of

6

- (a) Pension shall not permissible if services are for less than ten years (six month and more than six month shall be

pension

one year and the period of less than six months shall not be calculated).

(b) Whole pension shall be permissible on service of twenty years.

(c) If qualifying service is of more than ten year but less than twenty years, then amount of pension shall decrease in proportion;

Provided that the said amount shall not be less than the amount of minimum pension prescribed by the State Government, in any case.

Part 3**Retirement/ death gratuity**

Retirement
the **gratuity/**
year period of **gratuity**
not be more than
maximum

7
death

(1) The amount of retirement gratuity shall be equal to half of monthly emoluments for every complete half qualifying service, whose maximum limit shall be 33 times of last drawn monthly emoluments or the limit prescribed by the State Government, whichever is less.

(2) The amount of death gratuity on the death of any substantively appointed Government servant shall be followed-

Period of qualifying service	Amount of death gratuity
less than one year	double of monthly emoluments
more than one year but less than five years	six times of monthly emoluments
five years or more than but less than eleven years	twelve times of monthly emoluments
eleven years or more than but less than twenty years	twenty times of monthly emoluments
twenty years or more than	The qualifying service shall be equal to half of the emolument for complete half years period whose maximum limit shall not be more than 33 times of last drawn monthly emoluments or the maximum limit prescribed by the State Government, whichever is less.

Part IV
Family
Pension

Family Pension

8. (1) Generally the family pension shall be calculated at the rate of thirty percent of last drawn monthly salary;

Provided that the maximum and minimum amount of family pension shall not more than the amount fixed by the State Government.

- (3) In case of death of Government servant / pensioner, family pension is permissible to family at increased rates for the period of ten years from the date of death or attaining the age of 67 years of deceased Government Servant / Pensioner, whichever is earlier.

Eligibility for 9. Following member of family shall be eligible for permissiveness permissiveness of for family pension- family pension

- (1) wife/ husband;
- (2) Son less than the age of 25 years on date of death with the restriction that if he start earning livelihood then till the date of earning livelihood or the age of 25 years, whichever is earlier.
- (3) Unmarried daughter, less than age of 25 years on the date of death with the restriction that if she start earning livelihood or she get married or till the completion of age of 25 years, whichever is earlier. Children mentioned in sub-section (2) and (3) includes step and legally adopted before retirement.
- (4) There shall be no obligation of age on disable or mentally challenged children who are eligible for family pension under provision of this Act. Widow or divorcee daughter shall also be considered to included in family.

If spouse and children, mentioned eligible in above said categories, of the deceased Government servant are not in the family, then his mother/ father shall be considered to included in his family.

- (5) There shall be the following condition to make the unmarried daughter of Government employees / pensioners eligible also after attaining the age of twenty five years-

- (a) Family pension to unmarried daughter shall be sanctioned according to their date of birth and the younger daughter shall not be eligible for family pension till the elder daughter next to her is declared ineligible;
- (b) unmarried daughters of more than twenty five years shall be eligible for family pension only when other eligible children under age of twenty years are not eligible for pension and there is no disable child in family to receive family pension.

Commutation of a 10. (a) Commutation of maximum forty percent amount of total part of pension calculated pension shall be permissible according to the

formula
for

prescribed by the State Government. This facility is provided the pensioner on the basis of his consent.

- (b) Restitution of commuted part shall be held from just next day of the date of completion of fifteen years duration from the date after three months from issuing PPO or date of payment, whichever is earlier.

Increments in pension to pension than age of

11. Additional pension shall permissible on the permissible the Government pensioner/ family pensioner of more 80 years as follows-

Age of pensioner/ family pensioner	increment in pension
more than 80 year but not exceeding 85 years	20% of basic pension / family pension
more than 85 year but not exceeding 90 years	30% of basic pension / family pension
more than 90 year but not exceeding 95 years	40% of basic pension / family pension
more than 95 year but not exceeding 100 years	50% of basic pension / family pension
100 years or more	100% of basic pension / family pension

Part V

Miscellaneous

Miscellaneous employees,

- 12 (1) Interim pension and gratuity for such retired State against whom inquiry is pending in departmental, judicial proceeding or in Administrative Tribunal or is required to enquire shall be permissible as may be prescribed.
- (2) Pension, family pension shall not permissible to the person dismissed from the service.

Power to make rules

- 13 (1) The State Government may make rules to carry out the provisions of this Act.
- (2) Rules made under this Act shall be laid before the State Legislature.
